POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2021-23 (RNI.REG.NO 39658/1983) #ग्रा.ग./2023/अंक 12

मासिक प्रेषण दि. 8 दिसम्बर, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016

प्रकाशन की तिथि : 01 दिसम्बर, 2023 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! राजस्थान राज्य विधानसभा के लिए मतदान सम्पन्न हुआ। मतगणना 03 दिसम्बर 2023 को है। भाजपा हो या कांग्रेस दोनों ही दलों के प्रत्याशियों ने अपना चुनाव प्रचार-प्रसार करने और पानी की तरह पैसा बहाने में कोई कमी नहीं रखी।

मैं 'ग्राम गदर' द्रुत जनमत सर्वेक्षण-2023 में सहयोग देने वाले प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं और 'ग्राम गदर' के पाठकों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही प्रदेश में बनने वाली नई सरकार से अपेक्षा करता हूँ कि वह किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए न केवल कृषि कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारे, बल्कि ऐसी व्यवस्था भी करे जिससे किसानों के उत्पाद को उचित मूल्य मिले।

नई सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि रोजगार जैसे कि खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प इत्यादि का उचित वातावरण बनाएं, जिससे कि रोजगार की तलाश में गांवों से पलायन की समस्या दूर हो। सामाजिक और आर्थिक विकास में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र (एमएसएमई) का बहुत बड़ा योगदान रहा है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार देने में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह क्षेत्र करोड़ों लोगों को रोजगार देता है।

सरकार मंत्रियों-अधिकारियों से मिलकर बनती है। अकसर सामने आता है कि ये जिम्मेदार ही अपने दायित्वों से कन्नी काटते हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कि योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचे। निगरानी ऐसी हो कि जनता के धन का लाभ अपात्र लोग न उठा पाएं। प्रदेश में राजस्व बढ़ाने, वित्तीय अनुशासन अपनाने एवं प्रशासनिक सुधारों के साथ नौकरशाही को अधिक सक्रिय और जवाबदेह बनाना बेहद जरूरी है।

मेरा मानना है कि जितना वित्तीय संसाधनों को समय पर जुटाना जरूरी है, उतना ही जरूरी यह भी है कि उन्हें दक्षता के साथ योजनाबद्ध तरीके से खर्च किया जाए। जनता का पैसा जो राजकोष में आता है वह बेवजह खर्च नहीं हो, यह सुशासन का मूल मंत्र होना चाहिए।

अब 10 साल में कबाड़ हो जाएगा आपका फ्रिज और वाशिंग मशीन

चार पहिया वाहनों की तरह अब आपके मोबाइल, लैपटॉप, फ्रिज और वाशिंग मशीन की एक्सपायरी डेट तय हो गई है। केंद्र सरकार निर्धारित तिथि के बाद इन्हें ई-वेस्ट मानते हुए नष्ट करने को कहेगी। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय ने 134 इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों को तय सीमा के बाद कबाड़ मानने का निर्देश जारी किया है। एक्सपायरी डेट के बाद इनका निस्तारण करवा कर सर्टिफिकेट लेना होगा। नए उपकरण खरीदने पर छूट मिलेगी। खास बात यह है कि प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट बीत जाने के बाद ई-वेस्ट के निस्तारण की जिम्मेदारी ब्रांड उत्पादकों की होगी। वही इसे समुचित तरीके से नष्ट करेंगे। इसके बाद ही उन्हें नया प्रोडक्ट लांच करने की अनुमति मिलेगी।

यह है ई-वेस्ट निपटाने का नया नियम

एक अप्रेल 2023 से ई-वेस्ट निपटाने का नया कानून लागू है। जो ई-वेस्ट पैदा करेगा, वही नष्ट भी करेगा। उदाहरण के लिए इसके तहत यदि किसी कंपनी ने वाशिंग मशीन बनाई है तो उसकी उम्र 10 साल तय है। अब उसने 10 साल पहले जितनी वाशिंग मशीन बनाई थीं, उसके 60 प्रतिशत हिस्से को नष्ट करने का प्रमाण पत्र देने के बाद ही केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उसे फिर से उत्पादन करने की अनुमति देगा। जिम्मेदारी को नहीं उठाने पर जुर्माना और जेल दोनों हो सकती है।

ट्रेन में हुई चोरी: रेलवे को करनी होगी भरपाई

जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-द्वितीय ने ट्रेन के सेकिंड क्लास एसी कोच में यात्रा के दौरान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रिटायर प्रोफेसर का सामान चोरी होने को रेलवे की लापरवाही व सेवादोष मानते हुए उत्तर-पश्चिम रेलवे के मुख्य प्रबंधक व डिविजनल मैनेजर पर एक लाख 60 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है। साथ ही परिवादी के चोरी हुए सामान की क्षतिपूर्ति के लिए उसे अलग से एक लाख रुपए देने के निर्देश दिए है। आयोग ने कहा कि रेलवे एक महीने में कुल 2 लाख 60 हजार रुपए वैशाली नगर निवासी प्रो. विजय भटनागर को अदा करे।

मामले के अनुसार प्रोफेसर विजय भटनागर अपनी पत्नी के साथ 16 अप्रैल 2015 को वाराणसी से मरुधर एक्सप्रेस द्वारा जयपुर के लिए रवाना हुए थे। उनके साथ दो सूटकेस थे जिनमें एक लाख रुपए तक की कीमत के नए कपड़े और अन्य सामान था। उनके टूंडला स्टेशन पहुंचने के बीच उनका सामान किसी अज्ञात व्यक्ति ने चोरी कर लिया। उन्होंने टीटीई को घटना की शिकायत की, लेकिन वह ड्यूटी समाप्त होने की बात कह कर चला गया। उन्होंने सामान चोरी की रिपोर्ट भी दी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।

मनरेगा योजना में बढ़ी काम की मांग

मनरेगा योजना में इस वित्त वर्ष में काम की मांग तेजी से बढ़ी है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार इस योजना में और पैसा बढ़ाने पर विचार कर रही है, जिससे वित्त वर्ष के शेष बचे महीनों में योजना सुचारू ढंग से चल सके। मनरेगा में अक्टूबर तक कुल 77,634 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं।

गौरतलब है कि मनरेगा में उपलब्ध राशि 68,014 करोड़ रुपए ही है। आवंटन राशि से 9,620 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च हो चुके हैं। अनुमानित रूप से इस वित्त वर्ष के लिए करीब 28,000 से 30,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट चाहिए। केंद्र सरकार का मानना रहा है कि मनरेगा काम की मांग से संचालित मॉडल है और इसके लिए धन की कोई कमी नहीं है। जबकि जमीनी हकीकत यह है कि जब भी मनरेगा में फंड की कमी होती है, मनरेगा के तहत गतिविधियां फंड आने तक रुक जाती है।

मिलता रहेगा गरीबों को मुफ्त राशन

केंद्र सरकार ने 80 करोड़ जरूरतमंदों तक मुफ्त राशन पहुंचाने वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले पांच साल तक जारी रखने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यह जानकारी देते हुए कहा, यह कोई चुनावी वादा नहीं है। यह योजना पहले से चल रही है। इसकी अवधि दिसंबर 2023 में खत्म हो रही है।

योजना के तहत हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल और एक किलो चना दाल अभी भी जरूरतमंद लोगों को दी जा रही है। जरूरतमंदों को अच्छी चिकित्सा के साथ सस्ती दवाई मिले इस मकसद से जन औषधि केंद्र भी खोले गए हैं। इन केंद्रों में 100 रुपए की दवाई 10 रुपए में मिल जाती है।

भारत में बढ़ा जंक फूड का कारोबार

दुनियाभर के बाजार में जंक फूड का कारोबार घटा है, लेकिन भारत में यह तेजी से बढ़ रहा है। इसकी वजह है इसके विज्ञापन को लेकर सख्त और स्पष्ट कानून का अभाव। इसका फायदा ग्लोबल कंपनियां उठा रही है और भारत में जंक फूड उद्योग में निवेश बढ़ाने के साथ विज्ञापन के जरिए लोगों को लुभा रही है। निवेश, बैंकिंग सर्विस फर्म 'एवेंडस कैपिटल' द्वारा जारी नई रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता जंक फूड मार्केट है और वर्ष 2026 तक 2.49 लाख करोड़ रुपए का जंक फूड कारोबार होने का अनुमान है। रिपोर्ट के अनुसार जंक फूड, डिब्बाबंद खाद्य और पेय पदार्थों के उपभोग से मानसिक स्वास्थ्य का जोखिम ज्यादा रहता है। इससे चिंता, अवसाद, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज के साथ ही पेट से संबंधित कई गंभीर बीमारियों और मोटापे का खतरा ज्यादा होता है।

'वसुधैव कुटुंबकम' की मान्यता

संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 'वसुधैव कुटुंबकम' पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् (आइसीसीआर) के अध्यक्ष डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि इस दर्शन का संदर्भ केवल भारतीय नहीं, इसका दृष्टिकोण वैश्विक है।

उन्होंने कहा, वसुधैव कुटुंबकम को लेकर यह ऐतिहासिक है कि इस पर यहां चर्चा हो रही है, जहां इसकी बहुत जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने कहा कि एक विश्व, एक परिवार की अवधारणा एकजुटता और एकता के सिद्धांतों से मेल खाती है।

कर्ज के जाल में फंसते जा रहे राज्य

कर्ज लेकर मुफ्त की योजनाओं पर धन खर्च करने से कई राज्य कर्ज के जाल में फंसते जा रहे हैं। हाल ही चुनाव वाले पांच राज्यों में अर्थव्यवस्था से संबंधित नियंत्रण एवं महालेखापरीक्षक (कैग) के आंकड़ों के अध्ययन से यह स्थिति सामने आई है।

हाल यह है कि कुछ राज्यों में तो हर साल लिए जा रहे कर्ज का आधा से ज्यादा हिस्सा तो पूर्व में लिए गए कर्ज के ब्याज को चुकाने में जा रहा है। इसके अलावा ब्याज का भार भी साल दर साल बढ़ता जा रहा है। अर्थशास्त्री सवाल उठा रहे हैं कि ज्यादातर सरकारें कर्ज को उत्पादकता बढ़ाने में खर्च नहीं कर रही है। यदि कर्ज को उत्पादक कार्यों में खर्च किया जाता है तो कर्ज बोझ साबित नहीं होता। क्योंकि, इससे राज्य की आय बढ़ती है। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इसकी प्रभावी मॉनिटरिंग की व्यवस्था करें।

फसल बीमा योजना में फर्जीवाड़ा

राजस्थान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। ग्राम सेवा सहकारी समितियों, कृषि व राजस्व विभाग के कार्मिकों और बीमा कंपनी एचडीएफसी एग्रो जनरल इंश्योरेंस के स्तर पर लाखों हेक्टेयर खेतों के क्लेम फर्जी तरीके से उठा लिए गए।

फिलहाल 2025 से ज्यादा किसानों के साथ फर्जीवाड़ा होने के दस्तावेज सामने आए हैं। वहीं, 2500 अन्य किसान घपले की आशंका से चिंतित हैं। जो भी किसान अपना खसरा ऑनलाइन चेक कर रहे हैं, उनका विवरण आ रहा है कि उनका क्लेम उठ चुका है। अकेले बाड़मेर व जैसलमेर जिले के 8 गांवों में ही 2000 खेतों का 300 करोड़ रुपए का क्लेम उठा लिया गया। अब सीएमओ के निर्देश पर हाईपावर जांच कमेटी गठित की गई है।

भारत में भूजल खतरनाक स्तर पर

संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अगले दो साल में भारत में भूजल के स्तर में बेहद कमी हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में भूजल के अत्यधिक दोहन के कारण कुछ इलाके पहले से ही खतरनाक स्तर को पार कर चुके हैं। उत्तर-पश्चिमी भारत में 2025 तक भूजल में और कमी आ सकती है।

संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय-पर्यावरण और मानव सुरक्षा संस्थान द्वारा प्रकाशित इस रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में भूजल का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है। पानी की कमी होने पर कृषि के लिए करीब 70 फीसदी पानी की निकासी भूजल से की जाती है। यदि पानी और नीचे चला गया तो किसान पानी तक की पहुंच खो सकते हैं। इस गंभीर खतरे को देखते हुए भारत में पानी के संरक्षण और जल पुनर्भरण के लिए बड़े पैमाने पर काम करने की आवश्यकता है।

फसलों की गिरदावरी किसानों के हाथ

किसान अब खुद के स्तर पर अपनी फसल की गिरदावरी कर सकेंगे। सामान्य तौर पर गिरदावरी फसल की उपज की होती है। इसके तहत फसल उत्पादन का आकलन व अन्य डाटा एकत्र किया जाता है। बेमौसम बारिश या ओलावृष्टि से प्रभावित हुई फसलों के आंकड़े भी गिरदावरी में सामने आते हैं।

अब मोबाइल पर ऑनलाइन गिरदावरी प्रकिया शुरू कर दी गई है। मौके पर की गई गिरदावरी से फसलों का रीयल टाइम डाटा मिलेगा। फसल खराबे का सटीक आकलन होगा। गिरदावरी के लिए बनाए गए नए ऐप से किसानों को रहन या ऋण आदि लेने में भी सहायता मिलेगी। ऑनलाइन गिरदावरी के लिए किसानों को प्रशिक्षित किया गया है। इस बार उन्होंने खुद के स्तर पर गिरदावरी की है।

कम होती जा रही है खेती की जमीन

देश के उद्योग, खदान और बड़ी-बड़ी सड़क परियोजनाएं कृषि योग्य भूमि को लगातार निगलती जा रही है। यह हम नहीं, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के आंकड़े बोल रहे हैं। आंकड़ों के विश्लेषण से लगता है जैसे खेत देश के विकास में बड़ी बाधा है। खासकर ऐसे खेत जिन पर बाकायदा खेती होती है।

इन आंकड़ों से सामने आया है कि वर्ष 2019 से 2021 में छत्तीसगढ़ में करीब 28 हजार हेक्टेयर और राजस्थान में 11 हजार हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि कम हुई है। परियोजनाओं के लिए ली जाने वाली जमीन के संबंध में नियमों को देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि नियमों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। राष्ट्रीय किसान नीति 2007 में कहा गया है कि राज्य औद्योगिक व निर्माण संबंधी गतिविधियों के लिए कम जैविक क्षमता वाली भूमि जैसे बंजर, क्षारियता, अम्लीयता इत्यादि से प्रभावित भूमियों को ही चिन्हित करें।

प्रदेश में गांव पगडंडियों के सहारे

आज भी प्रदेश में कई गांव पगडंडियों के सहारे चल रहे हैं। डांग क्षेत्र में महिला को सांप ने डसा पगडंडी के सहारे अस्पताल पहुंचने में देरी से हुई मौत?, बारां-अटरू आदिवासी इलाका-मानसून में कई गांवों के बच्चों की पार्वती नदी के रपट के चलते कट जाने से तीन महीने पढ़ाई ठप्प? ऐसे कई उदाहरण गिनाए जा सकते हैं।

प्रदेश के विधानसभा चुनाव के पहले सड़कों की यह हकीकत दैनिक भास्कर ने जुटाई है। राजस्थान के 4762 गांवों को आज भी एक सड़क का इंतजार है। 2.85 लाख किलोमीटर लंबी सड़कों वाले प्रदेश में लाखों लोग आज भी पगडंडियों और उबड़-खाबड़ रास्ते के भरोसे जिंदगी गुजार रहे हैं। इसके चलते आधुनिक दौर में भी ये लोग शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा जैसी कई मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं।

कुपोषण-जवाबदेह कौन?

सरकार महिलाओं एवं बच्चों के कुपोषण को दूर करने के लिए कई योजनाएं बनाती है, लेकिन उनका सही लाभ उन तक नहीं पहुंच पा रहा। प्रदेश में आंगनबाड़ी, जननी शिशु सुरक्षा, स्कूलों में मध्याह्न भोजन जैसी कई योजनाओं के माध्यम से बच्चों को पोषाहार दिए जाने की व्यवस्था है।

इनमें पर्याप्त निरीक्षण व्यवस्था और जवाबदेही नहीं होने से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। नतीजतन माताओं एवं बच्चों को गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता। आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों व गर्भवती महिलाओं को दिया जा रहा पैकेटबंद पोषाहार लाभार्थी लेने से ही इनकार कर रहे हैं। अखबारों में आए दिन ऐसी खबरें आती है, लेकिन राज्य सरकार इसे सही नहीं मानती।

बिजली पर टैक्स लगाने का हक

केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि उनके पास किसी भी स्त्रोत से उत्पन्न बिजली पर टैक्स या कोई अन्य शुल्क लगाने का अधिकार नहीं है। राज्यों की ओर से इस तरह का कोई भी शुल्क लगाना गैरकानूनी और असंवैधानिक है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने इस बाबत सर्कूलर जारी किया है।

मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि राज्यों ने विकास शुल्क/कोष की आड़ में विभिन्न स्त्रोतों से बिजली उत्पादन पर शुल्क लगा लिया है।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कटूस' जयपुर